

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की संख्या—FP/UK/ROAD/41009/2019

1 परियोजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई-2.50 कि०मी०) का प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी वन प्रभाग।

0.6300 हे० सिविल सोयम तथा 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि हेतु कुल 1.5225 हे०।

आरक्षित वन भूमि तथा सिविल सोयम भूमि।

घनत्व 0.2।

संलग्न है।

सूच्य/संघ शासित क्षेत्र

जिला

वन प्रभाग

वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

वन की कानूनी स्थिति

हरियाली का घनत्व

प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।

सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० -8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।

भूस्वर्ण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संलग्न है।

संक्षिप्त टिप्पणी।

वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। प्रस्तावित मार्ग का समरेखण वन सीमा के अन्दर है।

क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण नहीं है।

जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हार्थी कारोडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां। अनुबन्धित की जाए)

क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है क्षेत्र में प्राणिजात की विशिष्ट प्रजातियां जैसे तेन्दुआ, काला भालू, गुरल आदि पाई जाती है।

यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।

में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये 0.6300 हे० सिविल सोयम तथा 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।

विकल्पों के ब्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

3 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, नही है।

दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

4 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेतर संलग्न है।

क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेतर संलग्न है।

क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों का आकार।

- i) **सेफ्टि की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक संलग्न है।**
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी,
समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- ii) **सेफ्टि की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक संलग्न है।**
वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी,
समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- v) **प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर संलग्न है।**
क्षेत्र से इनकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक
भूखण्डों का आकार
- vi) **प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय संलग्न है।**
परिव्यय
- 5 **जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।**
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में
पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 6 **प्रभाग/जिला प्रोफाइल प्रकरण वन प्रभाग उत्तरकाशी से सम्बन्धित है।**
- i) **जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 801600.00 हैक्टेयर**
- ii) **जिला का वन क्षेत्र। 695783.35 हैक्टेयर**
- iii) **मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में 552 मामले तथा 1652.43 हैक्टेयर**
लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv) **1980 से जिला/प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकुल वनीकरण।**
- (क) **दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 2241.08 है०**
पर अब तक
- (ख) **वनेत्तर भूमि पर अब तक 213.17 है०**
- v) **प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति 1990.748 है०**
- (क) **वन भूमि पर 213.17 है०**
- (ख) **वनेत्तर भूमि पर**
- 7 **प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की समुचित सुरक्षा की**
के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। जायेगी। अतः संस्तुति सहित अग्रसरित।

स्थान -उत्तरकाशी
 दिनांक 27-08-20

प्रमाणीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग,
 उत्तरकाशी